

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अधिवान-2021 पंचायत धर सरणू चिमनजी
प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. गेनाराम पुत्र पुरखाराम 2. सताराम पुत्र
पुरखाराम 3. मोटाराम पुत्र पुरखाराम 4.
दीपाराम पुत्र पुरखाराम 5. कसुम्बी देवी
पत्नि पुरखाराम 6. सतियोदेवी पत्नि
मेगाराम 7. गणेशाराम पुत्र स्व. मेगाराम
उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये वलिया
सतियों देवी पत्नि स्व. मेगाराम जातियान
जाट निवासीयान डागियालों की ढाणियां
सरनु चिमनजी तहसील एवं जिला
बाड़मेर।

1. खेताराम पुत्र अणदाराम 2. सताराम पुत्र
अणदाराम 3. भगवानराम पुत्र ताजाराम 4.
रामाराम पुत्र धर्माराम 5. चुनाराम पुत्र
अर्जनराम 6. हनुमानराम पुत्र भगवानराम 7.
चुनाराम पुत्र कालुराम 8. पाबुराम पुत्र
चौलाराम 9. जेटाराम पुत्र चौलाराम
जातियान जाट निवासीयान डोगियालो की
ढाणियां सरनु चिमनजी तहसील व जिला
बाड़मेर 10. रमेश पुत्र शेरमल जाति जैन
निवासी डोगियालो की ढाणीयां सरनु
चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-59/2021 दिनांक-06.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरणू चिमनजी पटवार हलका सरणू तहसील व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 195/124 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 333/124
रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 335/130 रकबा 20.00 बीघा व खसरा नम्बर 340/130
रकबा 40.13 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित
तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक
हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6527-6530

दिनांक- 06/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी
अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय
रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गेनाराम पुत्र पुरखाराम वगैरह जाति जाट निवासी डोगियालो की
ढाणीयां, सरनु चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी खेताराम पुत्र अणदाराम वगैरह जाति जाट/जैन निवासी डोगियालो
की ढाणीयां, सरनु चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर